

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर 302005  
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)/(बी-9718/2011)/अलेसे-III/ 919

दिनांक:- 03.02.2026

कार्यालय आदेश

श्री बनवारी लाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II(लिनक नं. 9718) पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, कोटा, जिनकी जन्म तिथि 15.08.1985 है, का दिनांक 15.12.2025 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 15.12.2025 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री बनवारी लाल मीना के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ4(ई)/(बी-9718/2011)/अलेसे-III/ 919  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 03.02.2026

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा।
3. कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व0 श्री बनवारी लाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी, कोटा।
5. श्रीमती रुमाली देवी पत्नी स्व. श्री बनवारी लाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II ग्राम जटलाव, पोस्ट-गुगडोद, तहसील-यौली, जिला सवाईमाधोपुर पिनकोड-322023 प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, कोटा के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवावें।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठता शाखा/एसीआर शाखा/पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

215

D:/sas-II/Rajesh ji/order.docx

Signature valid

Digitally signed by Seena Kaushal  
Designation: Joint Director  
Date: 2026.02.02 17:32:18 IST  
Reason: Approver

RajKaj Ref No.:  
20202902  
eSign 1.0

